राजस्थान सरकार
निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः प.1/प्रति.3/न.क./2013/14838 दिनांक 07.06.2013

विज्ञापन संख्या 1/ 2013
कम्पाउण्डर /नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 , संशोधित नियम, 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। ये आवेदन पत्र डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट **www.dsrrau.org** पर **दिनांक 18.06.2013 प्रातः 10.00 बजे** से ऑनलाइन भरे जा सकते है।

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदो की संख्या	सामान्य संवर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछडा संवर्ग			विशेष पिछडा संवर्ग			निः शक्तजन	विभागीय कर्मचारियो के लिए	उत्कृष्ट खिलाडी
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड	726	266	114	**380**	78	33	**111**	59	24	**83**	103	43	**146**	5	1	**6**	22	36	**14**
2	टी.एस.पी. क्षैत्र	30	0	0	0	3	0	**3**	19	8	**27**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**

नोटः– उपरोक्त पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। महिलाओं, निःशक्तजन, विभागीय कर्मचारियों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) है। आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन होगी।

1) आवेदन करने की अन्तिम तिथिः–

i) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वत ही निष्क्रिय हो जायेगा।

(नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में उक्त तिथियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

2) आवेदन शुल्कः–

i) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर के अभ्यथियों के लिये रु. 300/– (अक्षरे रूपये तीन सौं मात्र)।

ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के अभ्यर्थियों के लिए रु 200/– (अक्षरे रूपये दो सौं मात्र) (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये)।

3) आरक्षणः–

i) विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा।

ii) महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण में 8 प्रतिशत विधवा एवं 2 प्रतिशत विच्छिन विवाह महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार वर्गवार आरक्षण देय होगा। किसी वर्ग (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/विशेष पिछडा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जावेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम /निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम/निवास से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

iii) विज्ञापित उक्त पदो ंके लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (Persons with Disabilities) को 3 प्रतिशत आरक्षण दण्डवतरूप से देय होगा, अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 में एवं सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 में शेड्यूल 32 में वर्णित पद विशेष के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को ही उसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा। विशेष योग्यजन की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिये आरक्षित पदो ंके विरूद्ध चयनित माना जावेगा।
नोटः– 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता होने पर ही इस वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा। विभाग द्वारा विज्ञाप्ति इन पदों हेतु पात्र विशेष योग्यजन श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद नाम	पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी
कम्पाउण्डर /नर्स जूनियर ग्रेड	ओ.एल. , बी.एल.

iv) उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण दण्डवत देय होगा एवं इसका समायोजन उसी प्रवर्ग में किया जावेगा, जिस प्रवर्ग का अभ्यर्थी है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाडियों से तात्पर्य ऐसे खिलाडियों से है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे लिखे स्पष्टीकरण में उल्लेखित खेलों में भाग लिया हो तथा प्रथम/द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

स्पष्टीकरणः– उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाडी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोटर्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिक्रेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियिनशिपों में प्रत्येक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया होः–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशियों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेश खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम) या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के आरक्षित पद केवल इन वर्गों के राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से ही भरे जावेगें। इन वर्गों के राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में माना जावेगा।

vi) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलियर एवं नॉनक्रिमीलियर) के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के मान जावेंगे।

vii) विज्ञापित पदों में राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।

viii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रिमीलियर) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

ix) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर, 2007 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी क्षेत्र) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं अधिसूचित सहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

4) वेतनमान व अन्य सुविधाएं

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 11(7) एफडी (रूल्स)/08 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में निम्न प्रकार नियत पारिश्रमिक देय होगा।

क्र.सं.	**पद नाम**	**रनिंग पे–बैण्ड**	**ग्रेड–पे**	**प्रोबेशनकाल में देय नियत पारिश्रमिक**
1	कम्पाउण्डर / नर्स जूनियर ग्रेड	पी.बी. –2 9300–34800	3200/– (11)	10,000/–

दो वर्ष की कालावधि का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही उक्त वर्णित नियमित वेतन श्रृखला देय होगी। चयनित/नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5) शैक्षणिक योग्यता:– आयुर्वेद नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय/ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से इंटर्नशिप या उसके समकक्ष योग्यता। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। ***परन्तु यह है कि उपरोक्त अर्हक शैक्षणिक योग्यता, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित***

पद के लिए निर्धारित है, आवेदन की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त करने वाला अशार्थी पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

6) आयुः–

1) आयु सीमा की **गणना 1 जनवरी, 2014** को आधार मानकर की जावेगी।

2) न्युनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु इस अधिकतम आयु सीमा में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के अनुसार गत वर्षों में निम्न पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की शिथिलता देय होगी।

3) अधिकतम आयु में राज्य सरकार के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार शिथिलता प्रदान की जावेगी।

1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

2) विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिलाओं के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः– विधवा अभ्यर्थी के मामले में अभ्यर्थियों को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3) राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

4) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के नियोजन के संघ में प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक 56334 दिनांक 21 जुलाई, 2011 के उप नियम 39 के अधीन नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु व सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण हो सम्मिलत करते हुये अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय हैः–

(1) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष

(2) पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

5) कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ 2(6)डीओपी/ए–II/90 दिनांक 08.04.2010 के नियम 10 का संशोधन में ऐसे विभागीय कर्मचारी जो कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड के पद के लिए अर्हता रखते है, कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए 50 वर्ष तक की आयु तक पात्र होंगे।

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ संशोधन नियम 2013 के नियम 10 के परन्तुक के अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत् कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 5

वर्ष की आयु सीमा में छूट देय होगी, जो उनके द्वारा उक्त योजनाओं में दी गई सेवाओं की अवधि के बराबर होगी।

7) चयन का आधार :– राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 एवं संशोधित नियम 2013 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय है।

1) इन विज्ञाप्ति पदो ंके लिये सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (Similar Work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नहीं होगा।

2) कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड पदों की सीधी भर्ती के लिए वरियता सूची उक्त नियमों के नियम 19 एवं तद्न्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(11) आयु /2012 पार्ट II दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत् तैयार की जावेगी। जिसके अनुसार राज्य सरकार, एन.आर. एच.एम., मुख्यमंत्री बी.पी.एल. योजना के तहत् कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पद पर कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंकों के दिये जावेगें। प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक बोनस दिये जावेगें (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा) एवं 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत को दिया जायेगा।

3) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारुप संलग्न है।

4) वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होगें।

8) चयन के लिये अयोग्यताः–

(1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।

(3) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है, वहॉ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।

विशेष नोटः– अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गिनती करते समय डिसएबिलिटि (Disability) वाले बच्चों के संदर्भ में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–11/95/पार्ट–II दिनांक 24 फरवरी, 2011 के प्रावधान लागू होंगे।

(4) आयोग/सरकार/किसी सक्षम न्यायलय द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे।

(5) शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22 मई, 2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे।

(6) आवेदक के लिये राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966, संशोधित नियम, 2010 एवं संशोधित नियम 2013 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताऐं पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।

(7) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

9) दस्तावेजों का सत्यापनः–

(1) वरियता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा आहुत करने पर तय स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहुत अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र मय चैक लिस्ट विभाग द्वारा तय निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, ऑनलाईन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता/अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी और विभाग द्वारा बुलाये जाने पर उक्त दस्तावेजो की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्रों से प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान नहीं करने पर आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नही की जायेगी।

(2) आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(3) दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनकी नियुक्ति बाबत विचार किया जावेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का सत्यापन जारी करने वाली संस्था/सक्षम अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही मूल दस्तावेज लौटाये जावेंगे।

(4) आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर ही चयन प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से सम्मिलित किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत/घोषित दस्तावेजों की वैधता एवं पात्रता संबधी जांच करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

(5) कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

(उज्जवल राठौड)
नि दे श क

कार्यालय...

क्रमांकः–   दिनांक

<u>अनुभव प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी..पुत्र / पत्नि / पुत्री श्री..निवास...............................की नियुक्ति..........................के आदेश क्रमांक...दिनांक.................. .के द्वारा.......................के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर................ ....योजना में की गयी थी, जो इस पद पर दिनांक....................से दिनाक तक कार्यरत है /रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि.......... वर्ष ....माह............. ..... हैं।

हस्ताक्षर

नाम................................

पदनाम..........................

कार्यालय स्टाम्प..........

1) जिला आयुर्वेद अधिकारी, प्राचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूल/पीएमओ/सीएमएचओ/उपनिदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निदेशक एसमएसयू निदेशक आर.आरसी. का सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

2) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3) अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर अनुभव के आधार पर बोनस अंक देय नहीं होगे एवं बाद में कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

नोटः– अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवदेन प्रारम्भ होने की तिथि के ठीक पूर्व दिवस तक की जावेगी।